कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0/दस–3 (ग)/उपस्थिति/ — /2022, जुलाई 19 :दिनांक–2022

–:: परिपत्र ::–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज दिनांक 19–07–2022 को कानपुर पीठ से एक विद्वान अधिवक्ता द्वारा टेलीफोनिक सूचना मेरे कार्यालय को दी गयी कि इन चारों पीठों में बहुत से कर्मचारी अनुपस्थित हैं और मान0 सदस्यों में से केवल एक मान0 सदस्य श्री दयाशंकर तिवारी उपस्थित हैं। शेष कर्मचारी व मान0 सदस्य अनुपस्थित हैं। इसके पश्चात् मेरे द्वारा तत्समय मौजूद कानपुर पीठ के एक कर्मचारी से पुष्टि की गयी तो विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी सूचना सही पायी गयी। पीठवार अनुपस्थित कर्मचारीगण की स्थिति निम्नवत है :–

पीठ–प्रथम, कानपुर :–

1– **मो0 सलीम, दफ्तरी आकस्मिक अवकाश पर हैं। अवकाश स्वीकृत है।**

पीठ–तृतीय, कानपुर :–

1– **कु0 विनीता मेहरोत्रा, प्रधान सहायक, बिना अवकाश प्रार्थना–पत्र अनुपस्थित।**
2– **श्री राजेन्द्र प्रसाद, वैयक्तिक सहायक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत।**
3– **श्री अरविन्द द्विवेदी, वरिष्ठ सहायक, अनुपस्थित, अवकाश प्रार्थना–पत्र बिना रिपोर्ट एवं पीठासीन अधिकारी के आदेश लम्बित।**

पीठ–चतुर्थ, कानपुर :–

1– **श्री उमेश कुमार निगम, वरिष्ठ सहायक, अनुपस्थित, स्टेशन छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना–पत्र आख्या सहित लम्बित है।**
2– **श्रीमती स्नेहा मिश्रा, कनिष्ठ सहायक, अनुपस्थित।**
3– **श्री रमेश चन्द्र दफ्तरी, अनुपस्थित।**

आज दिनांक 19–07–2022 को अनुपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना–अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि कानपुर के अलावां अन्य समस्त पीठों में भी कर्मचारी एवं मान0 सदस्य की उपस्थिति की लगभग यही दशा है, जो अत्यन्त असन्तोषजनक है।

यद्यपि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी किया गया है इसके पश्चात् भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः समस्त मा0 सदस्यों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यदिवस पर समय से कार्यालय उपस्थित हों तथा समय से ही कार्यालय से प्रस्थान करें। उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

यदि भविष्य में कोई कर्मचारी कार्यालय में बिना अवकाश प्रार्थना–पत्र स्वीकृत कराये अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है।

ह0–19–07–2022,
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0/ दस–3 (ग)/उपस्थिति/3130 /2022, दिनांकः उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2– प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक (मुन्सरिम) , मुख्यालय, लखनऊ।
3– वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय, लखनऊ को गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
19.7.2022
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।